डा. सी. पी. जोशी
Dr. C.P. Joshi

ग्रामीण विकास मंत्री एवं
पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110 114

MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND
MINISTER OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

(12)

अ.शा.पत्र सं.पी -17025/11/2010-आरसी
दिनांक: अप्रैल, 2010

प्रिय महोदय,

विषय - पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का संयुक्त निरिक्षण एवं शिलान्यास/उद्घाटन

आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने राज्यों के समग्र विकास की गति बढ़ाने में स्पष्ट प्रभाव डाला है। बेहतर सड़क संपर्क के लाभ स्वास्थ्य तथा शिक्षा संस्थानों तक बेहतर पहुंच, जन सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सामाजिक विचार-विमर्श के उच्च स्तर, भूमि की अधिक कीमत तथा कृषकों की बाजार तक आसान पहुंच इत्यादि के रूप में दृष्टिगोचर हुए हैं।

2. योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके कार्यान्वयन में राज्यों को सुविधा पहुंचाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्य के लिए संसद सदस्य के साथ विचार-विमर्श का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों में दिए गए कुछ मौजूदा प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

क. कोर नेटवर्क तथा जिला ग्रामीण सड़क योजना को जिला पंचायत द्वारा संसद सदस्य के सुझावों पर पूरा विचार करने के पश्चात अंतिम रूप दिया जाना है।

ख. व्यापक नई संपर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) तथा व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) को अंतिम रूप देते समय संसद सदस्यों से परामर्श लेना होता है।

ग. वार्षिक योजना कार्यक्रमों को लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में उनके परामर्श से तथा राज्य सभा सदस्यों से, उस राज्य जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं के ऐसे जिले जिसके लिए उन्हें जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति का उपाध्यक्ष नामित किया गया है, के संबंध में परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना होता है।

कृ.पृ.उ.....2/-

Office : Room No. 48, 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhavan, New Delhi-110 114
Phone: 011-23782373, 23782327, 23070309, 23383548. Fax: 011-23385876

(10)

(10)

घ. संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर जिला पंचायत में निर्धारित तारीख तक पूरा विचार करना होता है जिससे यह अपेक्षित होता है कि वह प्रत्येक शामिल न किए गए मामले का कारण दर्ज करे तथा संसद सदस्य को शामिल किए जाने/ न किए जाने की सूचना दें तथा शामिल न किए जाने की स्थिति में उसके कारण से भी अवगत कराए।

3. हाल में, राज्य सरकारों को पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के संयुक्त निरीक्षण के लिए जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की प्रणाली सुनिश्चित करने का स्मरण कराया गया है। निरीक्षण की पद्धति निम्नानुसार होंगी :-

i. अंचल / क्षेत्र का संबंधित अधीक्षण अभियंता संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी पीएमजीएसवाई परियोजना(ओं) के चयन के लिए 6 महीने में एक बार उस अंचल / क्षेत्र के माननीय सांसद तथा जिला प्रमुख से अनुरोध करेगा । संयुक्त निरीक्षण की समय सारणी सांसद /जिला प्रमुख की सुविधा के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

ii. प्रभाग का प्रभारी कार्यपालक अभियंता विधान सभा सदस्य/मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से उनकी इच्छा तथा उनकी सुविधा के अनुसार पीएमजीएसवाई परियोजना(ओं) के संयुक्त निरीक्षण के लिए 3 महीने में एक बार अनुरोध करेगा।

iii. इसी प्रकार, उप प्रभाग का प्रभारी सहायक अभियंता संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी पीएमजीएसवाई परियोजना(ओं) के चयन के लिए 2 महीने में एक बार उस ग्राम पंचायत के सरपंच से अनुरोध करेगा। संयुक्त निरीक्षण का इंतजाम उनकी सुविधा के अनुसार किया जाएगा।

4. मैं ग्रामीण सड़क संपर्क के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम दिशा-निर्देशों का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए आपके सहयोग तथा बहुमूल्य समय का अनुरोध करता हूँ। पीएमजीएसवाइ के अन्तर्गत परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन स्थानीय संसद सदस्य के द्वारा करने के दिशा निर्देश मेरे मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को दिये जा चुके हैं (छायाप्रति संलग्न)।

सादर,

आपका

(सी.पी. जोशी)

सेवा में,
लोक सभा/राज्य सभा
के सभी माननीय संसद सदस्य